कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः–प्राशिप / परिषद / 2022 / 11083 लखनऊःदिनांक– 19.12.2022

:–कार्यालय ज्ञाप :–

याचिका संख्या (सिविल) 888 / 2022 एवं 847 / 2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2022 के अनुपालन में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु कतिपय संस्थानों को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21–10–2022 के अनुपालन में प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि 30–12–2022 के अनुक्रम में प्रश्नगत संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 22–12–2022** तक प्रत्येक दशा में निम्न अभिलेख परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1. **सत्र 2022–23 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र।**
2. **सत्र 2022–23 हेतु परिषद कार्यालय द्वारा निर्गत एन0ओ0सी0 की प्रति।**
3. **सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के नाम रू0 15000 / – (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट**

सूच्य है कि **दिनांक 22–12–2022** तक आवेदन जमा न करने की स्थिति में यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इस हेतु संबंधित संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।

(एफ0 आर0 खान)
सचिव

E:\karlyala gyap new instt 22-23.docx